

## अ) मतदान करते समय नोटा और गोपनीयता रखने के अधिकार का संवैधानिक महत्व

1) सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की दो प्रमुख बातें क्या हैं?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दो प्रमुख बातें हैं:

- मतदान के अधिकार में मत न देने का हक भी शामिल है, जैसे— राइट टू रिजेक्ट।
- मत को गोपनीय रखने का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का अभिन्न हिस्सा है।

2) “राइट टू रिजेक्ट” क्या है? यह वाक—स्वातंत्र्य के बुनियादी अधिकार का हिस्सा कैसे है?

किसी निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति ही मतदान है। राइट टू रिजेक्ट का तात्पर्य है— निर्वाचन के दौरान मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का अधिकार मिलना। इस तरह मतदाता को तटस्थ रहने का अधिकार मिलता है। यह उस समय संभव है, जब मतदाता को लगेगा कि निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी कर रहा कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन करने योग्य नहीं है। यह मतदाता की पसंद, भरोसे, सोच और अभिव्यक्ति के तरीके पर निर्भर होता है। इस तरह, राइट टू रिजेक्ट बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी की श्रेणी में आता है।

3) क्या मतदान के दौरान पहचान गुप्त रखने का अधिकार बुनियादी अधिकार है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी मतदाता का यह मूल अधिकार है कि वह बिना किसी डर, दबाव या जोर—जबरदस्ती के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस वजह से मतदाता की पहचान को सुरक्षित रखना और गोपनीयता मुहैया कराना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का अभिन्न अंग है। मतदान करने और न करने वाले में भेदभाव करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 (1)(ए) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

4) क्या पहचान गुप्त रखने के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय कानूनों में मान्यता मिली हुई है?

पहचान गुप्त रखने के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अनुच्छेद 21 (3) और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 25 (बी) में पहचान गुप्त रखने के अधिकार का उल्लेख है।

5) संसदीय लोकतंत्र में मतदाता की गोपनीयता महत्वपूर्ण क्यों है?

आम चुनावों के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को कायम रखने के लिए मतदाता की पहचान गुप्त रखना आवश्यक है। प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान करने का अधिकार है। साथ ही लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्यक्ष चुनावों में मतदाता को किसी भी व्यक्ति को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसने किसे वोट दिया। मतदाता की पहचान गुप्त रखना जरूरी है। दुनियाभर में जहां भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वहां इस पर जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि मतदाता को मतदान के समय यह डर न रहें कि पहचान जाहिर होने पर उसे उसका खामियाजा भुगतना होगा।

## 6) लोकतंत्र में “नोटा” (राइट टू रिजेक्ट) का बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन (ईवीएम) पर होना महत्वपूर्ण कैसे है?

- मतदाताओं की भागीदारी ही लोकतंत्र का सार है। नोटा बटन के जोड़े जाने से निर्वाचन प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ सकती है। निर्वाचन में मतदाताओं की भागीदारी का तात्पर्य ही लोकतंत्र में भागीदारी है। भागीदारी नहीं रहने से हताषा और अरुचि का माहौल बनता है, जो भारत जैसे बढ़ते लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।
- नोटा विकल्प मतदाता को राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारी कर रहे प्रत्याषियों पर असहमति जताने का अधिकार देता है। जब राजनीतिक दलों को महसूस होगा कि उनकी ओर से चुनाव मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों पर लोग बड़ी संख्या में असहमति जता रहे हैं तो धीरे-धीरे व्यवस्था भी बदलेगी। राजनीतिक दलों को लोगों की भावना को स्वीकार करते हुए ऐसे उम्मीदवारों को चुनावों में उतारना होगा, जिनकी पहचान उनकी ईमानदारी और निष्ठा के लिए है।
- सजीव लोकतंत्र के लिए, यह जरूरी है कि देष में सुषासन के लिए श्रेष्ठ उपलब्ध व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना जाए। एक जीवंत लोकतंत्र में, मतदाता को ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ (नोटा) बटन चुनने का अवसर दिया जाना जरूरी है। इससे राजनीतिक दल भी मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए मजबूर होंगे। यह हालात स्पष्ट तौर पर हमें नकारात्मक मतदान (निगेटिव वोटिंग) की जरूरत बताते हैं।
- इतना ही नहीं, निगेटिव वोटिंग का प्रावधान लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के हित में होगा क्योंकि उससे राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को यह स्पष्ट संकेत मिलेगा कि मतदाता उनके बारे में क्या सोचते हैं।

### बी) नोटा बटन और राइट टू रिजेक्ट पर निर्वाचन आयोग का रुखः

#### 1.) नोटा के अमल पर निर्वाचन आयोग ने क्या पहल की?

राइट टू रिजेक्ट के संबंध में मतदाता के गोपनीयता के अधिकार से जुड़ी गंभीर खामी को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 10.12.2001 को सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था। पत्र में निम्न विचार रखे गए थे:

- धारा 79 (डी) के तहत ‘निर्वाचन के अधिकार’ में मत नहीं देने का अधिकार षामिल है।
- ईवीएम में एक पैनल उपलब्ध कराया जाए, ताकि मतदाता यह संकेत दे सकें कि वह उसमें उल्लेखित किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत नहीं देना चाहता।
- सभी उम्मीदवारों के प्रति असहमति जताने वाले सभी मतों का उल्लेख भी रिजल्ट षीट में किया जाए।

हालांकि, मंत्रालय ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया।

#### 2. “राइट टू रिजेक्ट” पर निर्वाचन आयोग का रुख क्या है?

निर्वाचन आयोग तो खुद ही ईवीएम में नोटा का विकल्प देना चाहता था। निर्वाचन आयोग ने हमेषा से कहा है कि—

- लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के व्यापक हित में, "उपरोक्त में से कोई नहीं" या "नोटा" बटन के प्रावधान को ईवीएम या मतपत्रों में शामिल किया जाए।
- यह भी महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग ने समय—समय पर कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को प्रोत्साहन देने के अलावा राइट टू रिजेक्ट भी बेहद जरूरी है। इससे मतदाताओं को चुनाव लड़ रहे प्रत्याषियों के संबंध में अपनी आपत्ति या विरोध दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। फर्जी मतदान कम करने में भी इसका फायदा होगा।

### 3) ईवीएम में नोटा को लागू करने में क्या किसी तरह का अतिरिक्त खर्च आएगा?

निर्वाचन आयोग पहले ही यह स्पष्ट चुका है कि निगेटिव या न्यूट्रल वोटिंग की सुविधा में कोई अतिरिक्त खर्च या प्रेषासनिक प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा मषीनों के डिजाइन या टेक्नोलॉजी को बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। नोटा बटन पर अमल करने में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं होगी। ईवीएम का आखिरी बटन नोटा को अलॉट करना होगा।

### 4) सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में नोटा के अमल पर क्या अंतिम निर्देश दिए हैं?

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि नोटा बटन पर अमल चरणबद्ध तरीके से या भारत सरकार के सहयोग से उचित समय पर किया जाए।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपरोक्त आदेष के संबंध में निर्वाचन आयोग को हरसंभव मदद करने के निर्देश जारी किए हैं।
- इसके अलावा, जनता को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं।

### सी) सुप्रीम कोर्ट ने 41(2), 41(3) और 49(ओ) को निरस्त क्यों किया:

#### 1) निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के नियम 41(2), 41(3) और 49(ओ) का अर्थ:

**नियम 41: मतपत्रों को खराब करना या लौटाना।**

**नियम 41(2):** यदि कोई मतदाता मतपत्र लेने के बाद इस्तेमाल न करने का फैसला करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी को वह मतपत्र लौटाना होता है। इस तरह वापस आने वाले मतपत्र और इस तरह के मतपत्र के रिकॉर्ड पर पीठासीन अधिकारी को "लौटाया: रद्द" दर्ज करना होगा।

**नियम 41(3):** उप—नियम (1) या उप—नियम(2) के तहत रद्द सभी मतपत्रों को अलग पैकेट में रखा जाएगा।

**नियम 49(ओ).** मतदाता द्वारा मत न देने का फैसला करना: पीठासीन अधिकारी नियम 49—एल के तहत फॉर्म 17—ए में मतदाता की क्रम संख्या लिखने के साथ ही उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान लेता है। यदि इस प्रक्रिया के बाद मतदाता ईवीएम पर अपना मत दर्ज नहीं करने का फैसला करता है तो पीठासीन अधिकारी को फॉर्म 17—ए में दर्ज उक्त इंट्री के सामने यह दर्ज करना होगा। इस टिप्पणी पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान लेना भी जरूरी है।

## 2) फॉर्म 17-ए क्या है?

नियम 49 (ओ) में कहा गया है कि यदि किसी मतदाता ने फॉर्म 17-ए में अपनी मतदाता क्रम संख्या दर्ज कराने और उसके सामने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निषान लगाने के बाद मतदान न करने का फैसला किया तो पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17-ए में उक्त इंट्री के सामने टिप्पणी दर्ज करें। मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान भी उस पर लिया जाए।

## 3) क्या मतदान के सभी मामलों में फॉर्म 17 लागू होता है?

फॉर्म 17-ए सिर्फ ईवीएम से वोटिंग के मामलों में लागू होता है। नियमों के अध्याय 2 में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन से होने वाले मतदान का विस्तृत व्योरा दिया गया है। नियम 49ए से 49एक्स निर्वाचन के संचालन नियमों के भाग 4 के अध्याय 2 में आते हैं। यह अध्याय 24 मार्च 1992 को संषोधन के जरिए नियमों में वामिल किया गया है।

## 4) नियम 49-ओ एकपक्षीय और अतार्किक क्यों हैं?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79(डी) और निर्वाचन के संचालन नियमों 41(2), 41 (3) और 49(ओ) के तहत मत देने और न देने का अधिकार को वैधानिक मान्यता है। इस वजह से नियम 49-ओ के एक हिस्से को फॉर्म 17-ए के साथ पढ़ा जाता है। यह मत न देने का फैसला करने वाले के साथ अलग व्यवहार करता है। साथ ही उसकी गोपनीयता भी खत्म होती है। यह एकपक्षीय, अतार्किक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) एवं 21 का उल्लंघन करने वाला है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79(डी) और 128 के खिलाफ है।

## 5) नियम 41(2) और 41(3) अतार्किक क्यों हैं?

नियम 41 में मतपत्रों से संबंधित जानकारी दी गई है। नियम 41(2) और 41(3) के तहत यदि कोई मतदाता मतदान न करने का फैसला करता है तो उसे पीठासीन अधिकारी को मतपत्र लौटाना होगा। उस मतपत्र को अलग रखा जाएगा। इस वजह से मतदाता की गोपनीयता भंग होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79(डी) और 128 के भी खिलाफ है।

## 6) नियम 41(2), 41(3) और 49-ओ असंवैधानिक क्यों हैं?

49-ओ के पालन में मतदाता की गोपनीयता कायम नहीं रहती और इस तरह मतदान को गुप्त रखने के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) और 21 का उल्लंघन होता है।

## 7) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन के संचालन नियमों के नियम 41 और 49 का मौजूदा स्वरूप क्या रह गया है?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नियम 41(2), 41(3) और 49-ओ को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के मद्देनजर असंवैधानिक करार दिया है। यह नियम मतदान को गुप्त रखने के नियम का उल्लंघन करते हैं।

## डी) संसद एवं विधानसभाओं में पहले से है नोटा विषेषाधिकारः

1) नोटा फैसले की संवैधानिक व्याख्या का आधार है – लिली थॉमस बनाम स्पीकर, लोकसभा, (1993)4 एससीसी 234

- मतदान अभिव्यक्त करने का क्या अर्थ है?

“मतदान करने से तात्पर्य किसी विषय या मुद्दे पर उस व्यक्ति द्वारा अपनी राय या इच्छा के अधिकार का औपचारिक प्रकटीकरण है, जो इसके योग्य है” और इस “मताधिकार का अर्थ है किसी संकल्प या प्रस्ताव के पक्षया विपक्ष में अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। इस तरह का अधिकार तटस्थ बने रहने पर भी लागू होता है।”

- संसद में वोटिंग का तरीका क्या है?

संसद में वोटिंग का तरीका और प्रक्रिया में तीन तरह के बटन दिए जाते हैं:

- ए) हाँ वाले
- बी) नहीं
- सी) अब्स्टैन (तटस्थ)

कोई भी सदस्य इनमें से एक बटन दबाकर प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने से इनकार करते हुए तटस्थ रह सकता है। इस वजह से, सदस्यों को अब्स्टैन बटन दबाने का विकल्प दिया गया है।

- लिली थॉमस फैसले की संवैधानिक व्याख्या का आधार संसद की प्रभुसत्ता की निहित व्यवस्था है:

इसी तरह ईवीएम में नोटा बटन को षामिल करना हमारे देष की संप्रभुता और लोकतंत्र के मूल तत्वों पर आधारित है।

## ई) नोटा/मतपत्र/राइट टू रिजेक्ट पर प्रक्रियागत बिंदुः

1) ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था में अब तक राइट टू रिजेक्ट के लिए इनकार कैसे किया जा रहा था?

ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था दो यूनिट्स में बंटी है। कंट्रोल और बैलटिंग (मतदान) यूनिट्स। दोनों यूनिट्स एक केबल के जरिए आपस में जुड़ी होती है। बैलटिंग यूनिट को इस तरह रखा जाता है कि मतदाता गुप्त मतदान कर सके। वहीं कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में रहती है। उसे इस तरह रखा जाता है कि मतदान केंद्र पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंट एवं अन्य मौजूद लोग उस पर सभी गतिविधियों पर निगाह रख सकें। एक केबिन्नुमा व्यवस्था में लगी बैलटिंग यूनिट तभी सक्रिय होती है, जब कंट्रोलिंग यूनिट पर लगे बैलट बटन को पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी दबाता है। बैलट बटन दबाते ही कंट्रोल यूनिट पर लाल लाइट और बैलटिंग यूनिट पर हरी लाइट जल उठती है। जब मतदाता बैलटिंग यूनिट पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने का बटन दबाता है तो लाल लाइट जल उठती है। एक जोरदार बीप की आवाज भी होती है। यह आवाज

बाहर बैठे एजेंट और अन्य लोग भी सुनते हैं। इसका अर्थ है कि मतदान दर्ज हो चुका है। बैलटिंग यूनिट ब्लॉक हो जाती है। कंट्रोलिंग यूनिट पर एक बार फिर हरी लाइट जल उठती है। यानी मषीन अगले मतदाता द्वारा मतदान दर्ज करने के लिए तैयार है। बैलट बटन दबाने पर ही अगला मतदाता मतदान दर्ज कर सकता है। हालांकि, यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का फैसला करता है तो ईवीएम में इसका कोई विकल्प नहीं है। इस वजह से न तो कंट्रोलिंग यूनिट में दोबारा हरी लाइट जलती है और न ही बीप की आवाज आती है। ऐसे में मतदान केंद्र में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मतदाता ने मत नहीं दिया है। ईवीएम का इस्तेमाल पुरु होने के बाद से पहचान गुप्त रखने के अधिकार से समझौता किए बिना किसी भी प्रत्याषी को मत न देने के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसकी एकमात्र वजह मषीन में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) बटन नहीं होना है।

### 2) मतपत्रों से मतदान में पहचान गुप्त रखने के अधिकार को कैसे कायम रखा जाता है?

निर्वाचन संचालन के नियमों के भाग 4 के अध्याय 1 में मतपत्रों से मतदान का उल्लेख है। नियम 39 में मतपत्रों से मतदान के दौरान गोपनीयता बरतने और नियम 41 में मतपत्रों से संबंधित जानकारी दी गई है। मतपत्रों से मतदान के मामले में, मतदाता के पास हमेशा यह विकल्प होता था कि वह किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर न लगाकर यह जताएं कि उसे किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना है। भले ही इस तरह के मतपत्रों को अवैध मान लिया जाता हो, उसके पास अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए किसी को भी मत न देने का अधिकार रहता है।

### 3) पहचान गुप्त रखने के सिद्धांत को कब और किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है?

मतदाता की पहचान गुप्त रखने का सिद्धांत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का अभिन्न अंग है। इसे सिर्फ गोपनीयता और स्वतंत्र निर्वाचन के उच्च सिद्धांतों के टकराव की स्थिति में ही हटाया जा सकता है।

### एफ) दुनियाभर में नोटा का निर्धारण:

दुनिया के कई देशों में तटस्थ, विरोध या निगेटिव वोटिंग को उनकी निर्वाचन प्रक्रिया में मान्यता दी है। इन देशों की तालिका नीचे दी गई है:

क्रमांक	देश का नाम	मतदान का तरीका	निगेटिव वोट का तरीका
1.	फ्रांस	इलेक्ट्रॉनिक	नोटा
2.	बेल्जियम	इलेक्ट्रॉनिक	नोटा
3.	ब्राजील	मतपत्र	नोटा
4.	त्रीस	मतपत्र	नोटा
5.	यूक्रेन	मतपत्र	नोटा
6.	चिली	मतपत्र	नोटा
7.	बांग्लादेश	मतपत्र	नोटा

Data in this Kit is presented in good faith, with an intention to inform voters. Candidates' affidavit with nomination papers is the source of this analysis. Website:- [www.adrindia.org](http://www.adrindia.org), [www.myneta.info](http://www.myneta.info)

क्रमांक	देश का नाम	मतदान का तरीका	निगेटिव वोट का तरीका
8.	नवादा राज्य, अमेरिका	मतपत्र	नोटा
9.	फिनलैंड	मतपत्र	खाली छोड़ने और / या लिखें 'इन*''
10.	स्वीडन	मतपत्र	खाली छोड़ने और / या लिखें 'इन*''
11.	अमेरिका	इलेक्ट्रॉनिक / मतपत्र (राज्य पर निर्भर करता है)	खाली छोड़ने और / या लिखें 'इन*''
12.	कोलंबिया	मतपत्र	खाली छोड़ें
13.	स्पेन	मतपत्र	खाली छोड़ें

### जी) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेषनल इलेक्षन वॉच (एनईडब्ल्यू) की सिफारिषें:

अब जबकि उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में उपलब्ध रहेगा, हम किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के तहत दर्ज मतों की गणना के संबंध में निम्न सिफारिषें करते हैं:-

ए) उपरोक्त में कोई नहीं विकल्प में दर्ज मतों की भी गणना की जाए।

बी) यदि उपरोक्त में कोई नहीं विकल्प को किसी भी अन्य उम्मीदवार से ज्यादा मत मिलते हैं तो किसी भी उम्मीदवार को विजयी घोषित न किया जाए। फिर से चुनाव कराया जाए, जिसमें पहले चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को दोबारा मुकाबले की अनुमति न दी जाए।

सी) उसके बाद के चुनाव में नए उम्मीदवारों और उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प के साथ, उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाए जिसे कुल मतों का 50 प्रतिष्ठत + एक मत मिलें।

डी) यदि इस दौर में भी उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं या किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रतिष्ठत + 1 मत नहीं मिलता तो इस प्रक्रिया को दोहराया जाए।

यह प्रक्रिया भले ही बोझिल और लंबी नजर आए, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था में सुधार होगा- (अ) किसी खास वोटबैंक के प्रभाव कम होंगे और बेहतर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, (ब) राजनीतिक दल चुनाव मैदान में बेहतर प्रत्याष्ठी को उतारने को मजबूर होंगे।